जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 03.11.2023

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी कर 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद तथा मौके पर 50 लीटर लहन व भट्टी को नष्ट किया गया।

आज दिनांक 03.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार अवैध शराब के निर्माण/ बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अवैध रुप से चलाई जा रही शराब की भट्टी पर छापेमारी करते हुए 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए है। मौके पर मिले 50 लीटर लहन व शराब भट्टी को पुलिस पार्टी द्वारा नष्ट कराया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-

गुरुप्रीत कौर पत्नी चमकार सिंह निवासी ग्राम दभेडी बुजुर्ग थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध कच्ची शराब 20 लीटर।

2.अवैध शराब बनाने के उपकरण (01 ड्रम, 01 पतीला सिल्वर, 01 भगौना आदि)

3.नष्ट कराया गया 50 लीटर लहन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्रीसतीश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.म0है0का0 आभा शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 अंकित मावी थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.का0 अरुण कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.का0 प्रशान्त राणा थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 20 लीटर अपमिश्रित शराब व 300 ग्राम यूरिया बरामदः-

आज दिनांक 03.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब के निर्माण/बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर 01 अभियुक्त को 20 लीटर अपमिश्रित शराब व 300 ग्राम यूरिया सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

सूरजमल पुत्र रामदास निवासी ग्राम खेडी जुनारदार थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 लीटर अपमिश्रित शराब

2.यूरिया 250 ग्राम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 310/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 311/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 516/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनिमय थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 उरेन्द्र थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 अनुज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत युवती के साथ हुई घटना के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी हिरासत मेः-

आज दिनांक 03.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत युवती के साथ हुई घटना के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा 01 बाल अपचारी को हिरासत लिया गया है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.11.2023 को वादीगण नाहिद पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम गुज्जरपुर थाना कांधला, मुजम्मिल पुत्र असलूफ निवासी ग्राम भड़ी थाना झिंझाना, नाजमा पुत्री इरशाद निवासी कस्बा चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली मोटरसाइकिल से ऊन से अपने घर चौसाना जा रहे थे, उसी दौरान 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों ने हाथापाई कर , जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

प्रियांशु उर्फ हिमांशु पुत्र भूपेन्द्र निवासी मौहल्ला देवी मंदिर कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 187/19 धारा 302,328,201 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 442/23 धारा 341,323,364,511,506,354डी भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुदेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री संजीव कुमार पूनिया थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.हे0का0 राजा बनिवाल थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.हे0का0 ओरेश शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.हे0का0 बृजेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा दहेज उत्पीडन व मारपीट कर घायल करने के मामले में अभियुक्ता गिरफ्तारः-

आज दिनांक 03.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा दहेज उत्पीडन व मारपीट कर घायल करने के मामले में 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध मे थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में दिनांक 12.08.2023 को 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ज्ञात हो कि दिनांक 28.07.2023 को कैराना क्षेत्रान्तर्गत पीडिता द्वारा दहेज उत्पीडन व मारपीट कर घायल करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ता

नजमा पत्नि नूरा उर्फ नूरहसन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

अपराधः-

1.मु0अ0सं0 386/2023 धारा 498ए/323/326 भादवि0 व 3/4 दहेज अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुरेशवीर सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
2.म0है0का0 अनुराधा थाना कैराना जनपद शामली।
3.का0 अंकित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारण विस्फोटक/आतिशबाजी आदि सामग्री बरामदः-

दिनांक 02.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में आगामी पर्व दीपावली को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत चलाये जा रहे अवैध पटाखों का निर्माण/भण्डारण करने वाले पटाखा प्रतिष्ठान/आतिशबाजी स्थलों की चेकिंग /सत्यापन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा मूर्ति फायर वर्कस पर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक/आतिशबाजी सामग्री बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। मूर्ति फायर वर्कस का लाईसेंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30.07.2023 को निलम्बित किया जा चुका है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1. स्काई शाट 64 पैकेट।
2. कलर स्काई शाट 5 पैकेट।
3. अधबने बम 22 प्लास्टिक कैरेट।
4. स्काई शाट 61 डिब्बे।
5. लडी 3 पैकेट ।
6. सूतली बम 24 पैकेट।
7. बिजली बम्ब 91 पैकेट।
8. छोटे बिजली बम 190 पैकेट।
9. एलिस क्रेकर बम 650 लडी।
10. फुलझडी 290 पैकेट।
11. मैजिक शाट 7485 डिब्बिया।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2023 में अभियुक्त जाबिर पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 407/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में आज दिनांक 03.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 05 माह का कारावास व 2000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।**

2. वर्ष 2019 में अभियुक्त उमर पुत्र इलियास निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 344/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में आज दिनांक 03.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 05 माह का कारावास व 2000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।**

<u>नाम व पता अभियुक्तगणः-</u>

1.जाबिर पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली

2.उमर पुत्र इलियास निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI